[2021] 2 उम. नि. प. 384

शिवाजी चिंतप्पा पाटिल

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

[2013 की दांडिक अपील सं. 1348]

2 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यामूर्ति बी. आर. गवई

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 और 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – अभियुक्त और मृतका (पति-पत्नी) को अंतिम बार उनके मकान में एक साथ देखा जाना – रात्रि में मृतका-पत्नी द्वारा फांसी लेकर आत्महत्या किया जाना – मृतका को फांसी देकर उसका मानववध करने के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – जहां गला घोंटकर या फांसी देकर मानववध किया जाता है वहां विपदग्रस्त द्वारा, यदि वह बालक या अत्यंत कमजोर या दुर्बल व्यक्ति न हो या मादक पदार्थ देकर बेहोश न किया गया हो, प्रतिरोध करने के कारण उसके शरीर पर हिंसा या संघर्ष के चिह्न होंगे और जहां विपदग्रस्त के शरीर पर ऐसा कोई चिह्न न पाया गया हो तथा अभियुक्त द्वारा मृतका-पत्नी की हत्या करने का कोई हेतु भी सिद्ध न हुआ हो और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अन्य साक्ष्य से पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण न होती हो, वहां अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने के कारण उसे दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका का विवाह अभियुक्त के साथ घटना की तारीख से लगभग 8 या 9 वर्ष पूर्व हुआ था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अपीलार्थी शराब पीने का आदी था और मृतका की माता से धन लाने के लिए मृतका के साथ गाली-गलौच और मार-पीट करता रहता था । तारीख 23 मार्च, 2003 की दुर्भाग्यपूर्ण

रात्रि को अभियुक्त और मृतका अपने मकान में सोने के लिए गए थे । तारीख 24 मार्च, 2003 की भौर में अभि. सा. 5 ने अपीलार्थी को आवाज लगाई, जिससे कि वे अपने खेत में ज्वार की फसल की कटाई करने के लिए जा सकें । अभियुक्त ने दरवाजा खोला और यह कहते हुए उसके साथ खेत में जाने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की कि जयश्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है । अभि. सा. 4-रामचंद्र शंकर अपीलार्थी तथा अभि. सा. 5 के मकान के निकट रह रहा था । अभि. सा. 5 ने घटना के बारे में अभि. सा. 4 को सूचित किया । अभि. सा. 5 घटना के बारे में मृतका की माता और अन्य नातेदारों को सूचित करने के लिए गांव पनुंबरी गया । अभि. सा. 5 कोकरूढ़ पुलिस थाने गया और मृतका की मृत्यु के बारे में इत्तिला दी । अभि. सा. 5 से प्राप्त इत्तिला के आधार पर प्रारंभ में 2003 की एडी सं. 13 रजिस्ट्रीकृत की गई । तत्पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अग्रिम मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार मृत्यु का अधिसंभाव्य कारण गला घोंटने की वजह से श्वासोवरुद्ध हो जाना था । अधिकारिता वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया । मामला विद्वान् सेशन न्यायाधीश के सुपुर्द किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण पूर्ण होने पर विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की, जिसे खारिज कर दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – चिकित्सा विशेषज्ञ ने यह स्वीकार किया है कि फांसी पर लटककर आत्महत्या करने या फांसी देकर मानववध करने, दोनों ही

मामलों में गर्दन के चारों ओर बांधने के चिह्न ऊपर कानों की तरफ जाएंगे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् और पुस्तकों का अध्ययन करके उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह फांसी लगाने का मामला था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वस्तु सं. 1, जो कि एक रस्सी है, जो घटनास्थल पर पाई गई है, का प्रयोग फांसी पर लटक कर आत्महत्या करने के लिए किया जा सकता है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि फांसी देकर मानववध करने के मामले में शारीरिक प्रतिरोध प्रतिबिंबित होता । प्रस्तुत मामले में भी, स्वीकृत रूप से, शरीर पर कोई चिह्न नहीं पाए गए हैं जिससे हिंसा या संघर्ष का सुझाव मिलता हो । किसी भी स्थिति में, स्वयं चिकित्सा विशेषज्ञ ने आत्महत्या करके मृत्यु कारित करने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है । इसके विपरीत, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मृत्यु का कारण 'फांसी पर लटकने की वजह से श्वासोवरुद्ध हो जाना था' । इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि मृतका की मृत्यु मानववध था । यह सुस्थिर है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 एक ही छत के नीचे रहने और मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने वाले व्यक्ति के रूप में न तो पति के विरुद्ध और न ही पत्नी के विरुद्ध सीधे तौर पर लागू होती है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन के पक्षकथन को साबित करने के उसके प्राथमिक भार का निर्वहन करने से छुटकारा नहीं देती है । केवल तब जब अभियोजन पक्ष ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया हो, जिस पर यदि विश्वास किया जाए तो दोषसिद्धि हो जाएगी या प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, यह प्रश्न उन तथ्यों पर विचार करते हुए उद्भूत होता है जिनको साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा । प्रस्तुत मामले में, जैसा कि इसमें ऊपर विचार-विमर्श किया गया है, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में भी असफल रहा है कि मृत्यु मानववध के कारण हुई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंबित एक अन्य परिस्थिति यह है कि अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा था । अब

तक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि मिथ्या स्पष्टीकरण या अस्पष्टीकरण का प्रयोग केवल एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में तब किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की उस श्रृंखला को साबित कर दिया हो जिससे अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई अन्य निष्कर्ष न निकलता हो । तथापि, इसे श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक कड़ी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि घटनाओं की श्रृंखला को सिद्ध करने की बात तो दूर, जो परस्पर इतनी उलझी हुई है कि उसके आधार पर अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई अन्य निष्कर्ष न निकलता हो, अभियोजन पक्ष अपराध में फंसाने वाली किसी एकल परिस्थिति को भी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसलिए यह अपील मंजूर की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई है, अपास्त किए जाते हैं । (पैरा 15, 17, 18, 22, 23, 24 और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) 10 एस. सी. सी. 166 : **अनवर अली और एक अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	29
[2019]	(2019) 16 एस. सी. सी. 269 : **ईश्वरप्पा** उर्फ **दूपडा ईश्वरप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	6
[2019]	(2019) 19 एस. सी. सी. 447 : **देवी लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	9, 16, 33
[2019]	(2019) 9 एस. सी. सी. 738 : **गार्गी** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	7, 21
[2010]	(2010) 9 एस. सी. सी. 189 : **बाबू** बनाम **केरल राज्य** ;	8

[2010] (2010) 8 एस. सी. सी. 593 :
जी. पार्श्वनाथ बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 5

[2009] (2009) 14 एस. सी. सी. 415 :
सुब्रमण्यम बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य** ; 7, 19, 20

[2008] (2008) 5 एस. सी. सी. 587 :
पुन्नुसामी बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 20

[2006] (2006) 12 एस. सी. सी. 254 :
राजस्थान राज्य बनाम **काशी राम** ; 10, 31

[2006] (2006) 10 एस. सी. सी. 681 :
त्रिमुख मरोति किरकन बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 20

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
(1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
शरद बिरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य ।** 11, 24, 32

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 1348.

2005 की दांडिक अपील सं. 46 में बंबई उच्च न्यायालय के तारीख 1 दिसंबर, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एस. महेन्द्रन (न्याय मित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सचिन पाटिल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. आर. गवई ने दिया ।

न्या. गवई – इस अपील में बंबई उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा 2005 की दांडिक अपील सं. 46 में अपीलार्थी की अपील को खारिज करते हुए और 2003 के सेशन मामला सं. 39 में अपर सेशन न्यायाधीश, इस्लामपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हुए सुनाए गए निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है ।

2. अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री से प्रकट होने वाला अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में निम्नलिखित है ।

मृतका जयश्री का विवाह अभियुक्त के साथ घटना की तारीख से लगभग 8 या 9 वर्ष पूर्व हुआ था । उनकी दो संतान थीं । अभि. सा. 3-आनन्दीबाई मृतका की माता है । अभि. सा. 5-रामचंद्र चिंतप्पा अपीलार्थी का भाई है, जो उसी मकान के दूसरे भाग में अलग से रह रहा था । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अपीलार्थी शराब पीने का आदी था और मृतका की माता से धन लाने के लिए मृतका के साथ गाली-गलौच और मार-पीट करता रहता था । तारीख 23 मार्च, 2003 की दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को अभियुक्त और मृतका अपने मकान में सोने के लिए गए थे । तारीख 24 मार्च, 2003 की भौर में अभि. सा. 5 ने अपीलार्थी को आवाज लगाई, जिससे कि वे अपने खेत में ज्वार की फसल की कटाई करने के लिए जा सकें । अभियुक्त ने दरवाजा खोला और यह कहते हुए उसके साथ खेत में जाने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की कि जयश्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है । अभि. सा. 4-रामचंद्र शंकर अपीलार्थी तथा अभि. सा. 5 के मकान के निकट रह रहा था । अभि. सा. 5 ने घटना के बारे में अभि. सा. 4 को सूचित किया । अभि. सा. 5 घटना के बारे में मृतका की माता और अन्य नातेदारों को सूचित करने के लिए गांव पनुंबरी गया । अभि. सा. 5 कोकरूढ़ पुलिस थाने गया और मृतका की मृत्यु के बारे में इत्तिला दी । अभि. सा. 5 से प्राप्त इत्तिला के आधार पर प्रारंभ में 2003 की एडी सं. 13 रजिस्ट्रीकृत की गई । तत्पश्चात् भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अग्रिम मृत्यु प्रमाण-पत्र के अनुसार मृत्यु का अधिसंभाव्य कारण गला घोंटने की वजह से श्वासोवरुद्ध हो जाना था । अधिकारिता वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया ।

3. मामला विद्वान् सेशन न्यायाधीश के सुपुर्द किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण पूर्ण होने पर विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे आजीवन कारावास का दंडादेश दिया । अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च

न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की, जिसे खारिज कर दिया गया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्याय मित्र, श्री एस. महेन्द्रन और राज्य की ओर हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सचिन पाटिल को सुना ।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री महेन्द्रन ने यह दलील दी कि यह मामला पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । उन्होंने यह दलील दी कि जब तक अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित नहीं कर देता है, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में दोषसिद्धि अपेक्षित नहीं होगी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि मात्र संदेह के आधार पर दोषसिद्धि संधार्य नहीं होगी । उन्होंने इस बाबत **जी. पार्श्वनाथ** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया ।

6. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने की स्थिति में नहीं था कि मृतका की मृत्यु मानववध थी । उन्होंने यह दलील दी कि यदि अभि. सा. 6-डा. किशोर पटकी के साक्ष्य पर विचार किया जाए तो यह प्रकट होगा कि साक्ष्य मानववध मृत्यु की कहानी के विसंगत है । विद्वान् काउंसेल ने इस संबंध में **ईश्वरप्पा** उर्फ **दूपडा ईश्वरप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया ।

7. जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त के भार के संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष का संबंध है, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा आरंभिक भार का निर्वहन नहीं किया जाता है तब तक यह भार अपीलार्थी पर स्थानांतरित नहीं होगा । इस संबंध में **सुब्रमण्यम** बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य**[3] तथा

---

[1] (2010) 8 एस. सी. सी. 593.

[2] (2019) 16 एस. सी. सी. 269.

[3] (2009) 14 एस. सी. सी. 415.

गार्गी बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया ।

8. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में हेतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अभियोजन पक्ष हेतु के बारे में मामले को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । इस संबंध में **बाबू** बनाम **केरल राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया ।

9. अंत में, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि जब दो मत संभव हों, जिनमें एक का झुकाव दोषमुक्ति की ओर तथा दूसरे का दोषसिद्धि की ओर हो, तो संदेह का फायदा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए । इस संबंध में **देवी लाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया ।

10. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सचिन पाटिल ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक जैसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए **राजस्थान राज्य** बनाम **काशी राम**[4] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का ठीक ही अवलंब लिया है ।

11. पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से संबंधित विधि को **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[5] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में भली-भांति स्पष्ट किया गया है :–

> "153. इस विनिश्चय के सूक्ष्य विश्लेषण से पता चलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं –

---

[1] (2019) 9 एस. सी. सी. 738.

[2] (2010) 9 एस. सी. सी. 189.

[3] (2019) 19 एस. सी. सी. 447.

[4] (2006) 12 एस. सी. सी. 254.

[5] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिएं न कि सिद्ध की जा सकती हैं' । 'साबित की जा सकती हैं' और 'साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं' में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य {[1973] 3 उम. नि. प. 1010 = (1973) 2 एस. सी. सी. 793} वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

'19. ..... निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी होना चाहिए न कि केवल दोषी हो सकता है तथा 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।'

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित होनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो

कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

154. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं, यदि हम ऐसा कह सकते हैं । ये पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।"

12. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत मामले के तथ्यों की परीक्षा करते हैं ।

13. प्रस्तुत मामले में अभि. सा. 6-डा. किशोर पटकी की चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने अपने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. तंबोली के साथ मिलकर शव-परीक्षा की थी । तारीख 24 मार्च, 2003 को अभि. सा. 6 के हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए अग्रिम मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रदर्श-15) में मृत्यु का अधिसंभाव्य कारण 'गला घोंटने की वजह से श्वासोवरुद्ध हो जाना था' । तथापि, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-16), जिस पर डा. किशोर पटकी तथा डा. तंबोली द्वारा तारीख 19 जून, 2003 को हस्ताक्षर किए गए हैं, में मृत्यु का कारण 'फांसी लगाने की वजह से श्वासोवरुद्ध हो जाने के कारण हृदयश्वसन का रुक जाना था' । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में लगभग तीन माह के अत्यधिक विलंब के लिए अभि. सा. 6 द्वारा अपने साक्ष्य में केवल जो स्पष्टीकरण दिया गया है, यह है कि वह किसी अन्य कार्य में व्यस्त था ।

14. अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

"यह सही है कि आत्महत्या करने या फांसी देकर मानववध करने दोनों ही मामलों में गर्दन के चारों ओर बांधने के चिह्न ऊपर कानों की तरफ जाएंगे । यह सही है कि अग्रिम मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करते समय उसने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श नहीं किया था और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् तथा पुस्तकों का अध्ययन करके मैंने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह फांसी लगाने का मामला था । वस्तु सं. 1 का प्रयोग फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में किया जा सकता था

और फांसी पर लटकाकर मानववध करने या गला घोंटकर मानववध करने के मामले में शारीरिक प्रतिरोध प्रतिबिंबित होता ।"

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चिकित्सा विशेषज्ञ ने यह स्वीकार किया है कि फांसी पर लटककर आत्महत्या करने या फांसी देकर मानववध करने, दोनों ही मामलों में गर्दन के चारों ओर बांधने के चिह्न ऊपर कानों की तरफ जाएंगे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अपने ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् और पुस्तकों का अध्ययन करके उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह फांसी लगाने का मामला था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वस्तु सं. 1, जो कि एक रस्सी है, जो घटनास्थल पर पाई गई है, का प्रयोग फांसी पर लटक कर आत्महत्या करने के लिए किया जा सकता है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि फांसी देकर मानववध करने के मामले में शारीरिक प्रतिरोध प्रतिबिंबित होता ।

16. **ईश्वरप्पा** उर्फ **दूपडा ईश्वरप्पा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा, जिसमें इस न्यायालय ने मोदी की मेडीकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टॉक्सीकोलॉजी का अवलंब लिया था और यह मत व्यक्त किया था :–

> "7. मोदी की मेडीकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टॉक्सीकोलॉजी, तेइसवां संस्करण, पृष्ठ 572 पर निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–
>
> > 'फांसी पर लटका कर मानववध करने के मामले यद्यपि विरले ही देखे जाते हैं । प्रायिक तौर पर, ऐसे कृत्य में एक से अधिक व्यक्ति अंतर्ग्रस्त होते हैं, जब तक कि विपदग्रस्त कोई बालक या बहुत ही कमजोर और दुर्बल व्यक्ति न हो या किसी मादक पदार्थ या स्वापक औषधि द्वारा बेहोश नहीं कर दिया जाता है । ऐसे मामले में, जहां प्रतिरोध किया गया हो, शरीर पर हिंसा के चिह्न और संघर्ष के चिह्न या घटनास्थल के निकट कई व्यक्तियों के पद-चिह्न पाए जाने की संभावना होती है ।'

इस मामले में विद्वान् लेखक द्वारा उल्लिखित कोई भी सुपरिचित चिह्न मौजूद नहीं हैं ।"

17. प्रस्तुत मामले में भी, स्वीकृत रूप से, शरीर पर कोई चिह्न नहीं पाए गए हैं जिससे हिंसा या संघर्ष का सुझाव मिलता हो । किसी भी स्थिति में, स्वयं चिकित्सा विशेषज्ञ ने आत्महत्या करके मृत्यु कारित करने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है । इसके विपरीत, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मृत्यु का कारण 'फांसी पर लटकने की वजह से श्वासोवरुद्ध हो जाना था' ।

18. इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गलती की है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि मृतका की मृत्यु मानववध था ।

19. यह बात हमें उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के उपबंधों का लिए गए अवलंब की ओर ले जाती है । **सुब्रमण्यम** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने इसी प्रकार के मामले पर विचार किया था जिसमें पति और पत्नी मकान की चाहरदिवारी के भीतर रह रहे थे और मृत्यु हो गई थी । इस न्यायालय की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

"23. जहां तक इस परिस्थिति का संबंध है कि वे एक साथ रह रहे थे, निर्विवाद रूप से, संपूर्ण स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए । सामान्यत: जब पति और पत्नी मकान की चाहरदिवारी के भीतर रहते हैं और मानववध मृत्यु हो जाती है, तो पति को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना होगा जिनमें पत्नी की मृत्यु हो सकती थी । तथापि, हम इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि यद्यपि इसे एक मजबूत परिस्थिति समझा जा सकता है किंतु मृतका के शरीर पर हिंसा के किसी साक्ष्य के अभाव में केवल इस परिस्थिति को निश्चायक अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो सकता है कि पति और केवल पति उसके लिए उत्तरदायी था ।"

20. **सुब्रमण्यम** (उपर्युक्त) वाले मामले में राज्य की ओर से **त्रिमुख मरोति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **पुन्नुसामी** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया था । इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि :–

> "26. ऊपर उल्लिखित दोनों मामलों में, मृत्यु हिंसा के कारण हुई थी । इस मामले में, हिंसा का कोई चिह्न नहीं था । अपीलार्थी को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था । जहां तक धारा 498-क या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 का संबंध है, मृतका के माता-पिता जो अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 हैं और साथ ही साथ बिचौलियों, अभि. सा. 4 और 5 के साक्ष्य को दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष की कहानी के इस भाग को अस्वीकार कर दिया गया था जिसमें हत्या करने के लिए अपीलार्थी का प्रबल हेतु होने का सुझाव दिया गया था ..... ।"

21. **गार्गी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट करना भी सुसंगत होगा :–

> "33.1. जहां तक 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी कोई और नहीं अपितु मृतक की पत्नी है और एक ही छत के नीचे रह रही थी और वह अंतिम व्यक्ति है, जिसे मृतक के साथ देखा गया था । तथापि, मृतक और अपीलार्थी का इस प्रकार साथ रहने का स्वयंमेव यह अर्थ नहीं है कि अपीलार्थी की दोषिता की उपधारणा की जाए । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय इस धारणा के आधार पर अग्रसर हुआ था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सीधे तौर पर अपीलार्थी के विरुद्ध लागू होती है । हमारे मत में, ऐसा दृष्टिकोण भी वहां गलती से मुक्त नहीं रहता है जहां इस बात पर विचार नहीं किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपने प्राथमिक भार से छुटकारा नहीं देती है ।

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 681.

[2] (2008) 5 एस. सी. सी. 587.

इस न्यायालय ने सावल दास **बनाम** बिहार राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 193] वाले मामले में इस सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया था :–

> '10. तथापि, न तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 और न ही धारा 106 अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने के अपने साधारण या प्राथमिक भार का निर्वहन करने के कर्तव्य से छुटकारा देती है । केवल तब जब अभियोजन पक्ष ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया हो, जिस पर यदि विश्वास किया जाए तो दोषसिद्धि हो जाएगी या जिससे प्रथमदृष्ट्या मामला बनेगा, यह वह प्रश्न है जो उन तथ्यों पर विचार करते हुए उद्भूत होता है जिन पर साबित करने का भार अभियुक्त पर हो सकेगा ।'"

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह सुस्थिर है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 एक ही छत के नीचे रहने और मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने वाले व्यक्ति के रूप में न तो पति के विरुद्ध और न ही पत्नी के विरुद्ध सीधे तौर पर लागू होती है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन के पक्षकथन को साबित करने के उसके प्राथमिक भार का निर्वहन करने से छुटकारा नहीं देती है । केवल तब जब अभियोजन पक्ष ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया हो, जिस पर यदि विश्वास किया जाए तो दोषसिद्धि हो जाएगी या प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, यह प्रश्न उन तथ्यों पर विचार करते हुए उद्भूत होता है जिनको साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा ।

23. प्रस्तुत मामले में, जैसा कि इसमें ऊपर विचार-विमर्श किया गया है, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में भी असफल रहा है कि मृत्यु मानववध के कारण हुई थी ।

24. अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंबित एक अन्य परिस्थिति यह है कि अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा था । अब तक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि मिथ्या स्पष्टीकरण या अस्पष्टीकरण का प्रयोग

केवल एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में तब किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की उस श्रृंखला को साबित कर दिया हो जिससे अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई अन्य निष्कर्ष न निकलता हो । तथापि, इसे श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक कड़ी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में **शरद बिरधीचंद सारदा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है ।

25. इसके पश्चात्, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के आचरण के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का अवलंब लिया है । यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अभि. सा. 5-रामचंद्र चिंतप्पा, जो कि प्रथम इत्तिलाकर्ता था, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया था कि जब वह ज्वार की फसल की कटाई करने हेतु खेत में जाने के लिए अभियुक्त को बुलाने गया था, तब उसने उसे यह सूचित किया था कि मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है । केवल यही नहीं, अपितु उक्त साक्षी की इत्तिला के आधार पर प्रारंभ में 2003 की एडी सं. 13 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि सम्यक् रूप से अभि. सा. 4-रामचंद्र शंकर के साक्ष्य से भी होती है । ये दोनों साक्षी अभियोजन साक्षी हैं । हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय इन साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने में असफल रहा था ।

26. यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में हेतु सुसंगत नहीं होगा, तो भी पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में हेतु परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है । अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंबित हेतु अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ उसकी माता द्वारा धन की व्यवस्था न करने के कारण दुर्व्यवहार करना था । इस बाबत, अभियोजन पक्ष ने मृतका की माता, अभि. सा. 3-आनंदी के साक्ष्य का अवलंब लिया है । उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

> "..... अभियुक्त और मृतका घटना से कुछ दिन पूर्व मेरे घर आए थे और चार दिन ठहरे थे .....।"

27. अभि. सा. 3-आनंदी, मृतका की माता ने यह कथन किया है कि अभियुक्त और मृतका घटना से कुछ दिन पूर्व उसके घर आए थे और चार दिन ठहरे थे । इस प्रकार, इससे यह दर्शित होता है कि मृतका और अभियुक्त के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे । ऐसे साक्षी के असंपुष्टिकारी साक्ष्य का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं होगा ।

28. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1-निवृत्ति के साक्ष्य का अवलंब लेना चाहा । तथापि, उसका साक्ष्य सुधारों और लोपों से भरा है । विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया है ।

29. **अनवर अली और एक अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :–

> "24. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष हेतु को सिद्ध और साबित करने में असफल रहा है और इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए, यह सही है कि हेतु को साबित न करना अभियोजन के पक्षकथन को नामंजूर करने का आधार नहीं हो सकता है । यह भी सही है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुरेश चंदर बाहरी **बनाम** बिहार राज्य [(1995) 1 सप्ली. एस. सी. सी; 80] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि हेतु साबित हो जाता है तो इससे पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी जुड़ जाएगी किंतु इसका अभाव अभियोजन के पक्षकथन को नामंजूर करने का आधार नहीं हो सकता है । तथापि, साथ ही साथ, जैसा कि बाबू **बनाम** केरल राज्य [(2010) 9 एस. सी. सी. 189] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है, पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करने वाले किसी मामले में हेतु का अभाव ऐसा पहलू है जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है । पैरा 25 और 26 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है –

---

[1] (2020) 10 एस. सी. सी. 166.

'25. उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** किशनपाल [(2008) 16 एस. सी. सी. 73] वाले मामले में इस न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में हेतु के महत्व की परीक्षा की थी और यह मत व्यक्त किया था –

> '38. .....हेतु एक ऐसी चीज है जो प्राथमिक तौर पर स्वयं अभियुक्त की जानकारी में होता है और अभियोजन पक्ष के लिए यह स्पष्ट करना संभव नहीं है कि वह विशिष्ट अपराध कारित करने के लिए अभियुक्तों को वास्तव में किस बात ने प्रेरित किया था या उकसाया था ।
>
> 39. हेतु को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में समझा जा सकता है जो साक्ष्य का निर्धारण करने के लिए सुसंगत है किंतु यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है और परिस्थितियों से अभियुक्त की दोषिता साबित होती है, तो यह कमजोर नहीं हो जाती है भले ही हेतु बहुत प्रबल न हो । यह भी स्थिर विधि है कि उस मामले में हेतु का कोई महत्व नहीं रह जाता है जहां साक्षियों का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध है, क्योंकि भले ही कोई विशिष्ट अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों का बहुत ही प्रबल हेतु हो, उन्हें दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय न हो । इसी प्रकार, भले ही कोई स्पष्ट हेतु न हो किंतु प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीय है, तो हेतु का अभाव या अपर्याप्तता दोषसिद्धि के आड़े नहीं आएगी ।'

26. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करने वाले किसी मामले में हेतु का अभाव ऐसा पहलू है जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है [पन्नायर **बनाम** तमिलनाडु राज्य, (2009) 9 एस. सी. सी. 152] ।"

30. प्रस्तुत मामले में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष हेतु को संदेह के परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा था । इसलिए प्रस्तुत मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी पूरी तरह से गायब है ।

31. जहां तक राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंबित **काशी राम** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय का संबंध है, यह प्रकट होता है कि इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन स्पष्टीकरण न देने की बात का प्रयोग इस निष्कर्ष को सुदृढ़ करने के लिए केवल एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में किया था कि अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया है जिसके आधार पर अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है न कि श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक कड़ी के रूप में प्रयोग किया था । इसलिए उक्त निर्णय प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा ।

32. यह विधि के स्थिर सिद्धांत से भी बढ़कर है कि यदि दो मत संभव हैं तो फायदा सदैव अभियुक्त को मिलेगा । **शरद बिरधीचंद सारदा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा :-

> "163. इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया भुला दिया गया प्रतीत होता है । यह सुस्थिर है कि जहां साक्ष्य के आधार पर दो संभावनाएं उपलब्ध या खुली होती हैं, एक वह जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में जाती है और दूसरी वह जो अभियुक्त को फायदा देती है, वहां अभियुक्त नि:संदेह, संदेह के फायदे का हकदार होता है । काली राम **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 808] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –
>
> > 'आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन तंत्र में एक स्वर्णिम सिद्धांत यह है कि यदि मामले में दिए गए साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हैं जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता है और दूसरा उसकी निर्दोषिता को, वह मत अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में है ।

यह सिद्धांत विशेष रूप से ऐसे मामलों में सुसंगत है जिनमें अभियुक्त की दोषिता पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध की जानी है ।'"

33. इस न्यायालय ने हाल ही में **देवी लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया है :–

"19. इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में यदि अभिलेख के मामले के आधार पर दो मत संभव हैं जिनमें से एक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता है और दूसरा उसकी निर्दोषिता को, तो वास्तव में अभियुक्त उसका फायदा पाने का हकदार है जो उसके पक्ष में है । किसी दांडिक आरोप के आधार पर अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की गुणवत्ता और अंतर्वस्तु को परिभाषित करते हुए न्यायिक रूप से अधिकथित सभी मानदंडों के आधार पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में इस बात को सिद्ध करने में असफल रहा है ।"

34. प्रस्तुत मामले में, हमारी यह सुविचारित राय है कि घटनाओं की श्रृंखला को सिद्ध करने की बात तो दूर, जो परस्पर इतनी उलझी हुई है कि उसके आधार पर अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई अन्य निष्कर्ष न निकलता हो, अभियोजन पक्ष अपराध में फंसाने वाली किसी एकल परिस्थिति को भी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसलिए यह अपील मंजूर की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई है, अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और यह निदेश दिया जाता है कि यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.